

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) / पटना दिनांक.....
/ श्री प्रभात कुमार झा, (बि0प्र0से0, कोटि
क्रमांक-966/2011) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला
परिवहन पदाधिकारी, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994
की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री झा को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ
उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार राय)

सरकार के उप सचिव

पटना दिनांक-28/12/18

ई0-मेल

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 8339

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनाथ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त
(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला
पदाधिकारी, कैमूर/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/मोटरयान निरीक्षक,
कैमूर/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कैमूर/श्री प्रभात कुमार झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) / पटना दिनांक.....
श्री प्रभात कुमार झा, (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-966/2011) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री झा को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(विनय कुमार राय)
सरकार के उप सचिव

ई0-मेल ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, कैमूर/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/मोटरयान निरीक्षक, कैमूर/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कैमूर/श्री प्रभात कुमार झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)

पटना दिनांक- 28/12/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10
28/12/18

सरकार के उप सचिव